"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 113] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 12 फरवरी 2021 — माघ 23, शक 1942

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 12 फरवरी 2021

क्रमांक 2541/डी. 23/21-अ/प्रारू./छ. ग./21. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 30-01-2021 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 2 सन् 2021)

छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2020

छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहलायेगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा.

धारा 35 का संशोधन. 2. मूल अधिनियम की धारा 35 के खण्ड (च) का लोप किया जाये.

धारा 187 का संशोधन. 3. मूल अधिनियम की धारा 187 की उप-धारा (7) में, शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर, शब्द "दो वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 187-क का संशोधन. 4. मूल अधिनियम की धारा 187-क की उप-धारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"(2) इस धारा में इसके विपरीत किसी बात के रहते हुए भी, राज्य शासन, मंत्रिपरिषद् की सहमति प्राप्त करने के पश्चात्, व्यापक जनहित में, ऐसे कारणों से, जिन्हें लिखित में दर्ज किया जायेगा, परिषद् की अनुशंसा पर, किसी विशेष प्रकरण में, आंशिक या पूर्ण रूप से, इस धारा के अधीन अपराधों के शमन पर देय शुल्क में छूट प्रदान कर सकेगा :

स्पष्टीकरण-1 : इस धारा के प्रयोजन के लिये, शब्द 'व्यापक जनहित में' का आशय केवल निम्नलिखित तक सीमित होगा :-

(क) ऐसे विद्यापीठ और संस्थायें, जो विगत कम से कम पांच वर्षों से शिक्षा, जिसमें वंचित व्यक्तियों की आजीविका को बढ़ावा देने हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण शामिल है, के क्षेत्र में सक्रिय हो, तथा जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और/या केन्द्रीय या राज्य शासन से अनुदान प्राप्त हो;

(ख) ऐसे अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्र, जो केन्द्रीय या राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त हो, तथा मूल रूप से गरीबों और वंचित लोगों को धर्मार्थ सेवा प्रदान करती हो;

(ग) धार्मिक और सेवाभावी संस्थायें, जो समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय हों, परंतु इस धारा के अंतर्गत उनका अपराध ऐसे भवनों के निर्माण से संबंधित हो, जो आवासीय या व्यावसायिक न हो;

(घ) ऐसे संस्थायें, जो केन्द्रीय तथा/या राज्य शासन द्वारा सम्यक् रूप से मान्यता प्राप्त हो, तथा जो विगत कम से कम पांच या इससे अधिक वर्षो से सक्रिय हो, जो अनाथाश्रम, शारीरिक या मानसिक रूप से बाधित व्यक्तियों, परित्यक्त महिलायें या वरिष्ठ नागरिकों हेतु आश्रम का संचालन करती हो.

स्पष्टीकरण-2 : उपरोक्त प्रावधान, ऐसे किसी प्रकरण पर भी लागू हो सकेगा, जो इस प्रावधान के प्रभावशील होने की तिथि में लंबित हो."

अटल नगर, दिनांक 12 फरवरी 2021

क्रमांक 2541/डी. 23/21-अ/प्रारू./छ. ग./21.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग का समसंख्यक अधिनियम दिनांक 12-2-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 2 of 2021)

CHHATTISGARH MUNICIPALITIES (AMENDMENT) ACT, 2020

An Act further to amend the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-first Year of the Republic of India, as follows :-

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Municipalities (Amendment) Act, 2020. **Short title and commencement.**

(2) It shall come into force from a date of its publication in the Official Gazette.

2. Clause (f) of Section 35 of the Principal Act shall be omitted. **Amendment of Section 35.**

3. In sub-section (7) of Section 187 of the Principal Act, for the words "one year", the words "two years" shall be substituted. **Amendment of Section 187.**

4. After sub-section (1) of Section 187-A of the Principal Act, the following shall be added, namely :- **Amendment of Section 187-A.**

"(2) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Section, the State Government may, after obtaining approval of the Council of Ministers, in larger public interest, for reasons to be recorded in writing, on the recommendation of Council, waive in part or whole the fees for compounding of offences under this Section, in any particular case :

Explanation -1 : For the purpose of this Section, the term 'Larger public interest' is restricted to the following :-

(a) Institutes or organizations active in the field of education including training for skills- development for promotion of livelihood of the underprivileged, for at least five preceding years, and which receive grants from the University Grants Commission and/or the Central or State Government(s);

(b) Hospitals and healthcare centres which are recognized by the Central or State Government, and primarily render charitable services to the poor and underprivileged;

(c) Religious and charitable organizations active in the field of social service, provided their offences under this Section relate to construction of buildings other than residential or commercial;

(d) Institutions, duly recognized by the Central and/or State Government(s), that run orphanages, facilities for physically or mentally challenged persons, destitute homes for women or senior citizens, and have been active for a period of preceding five years or more.'

Explanation -2: The above provision shall also apply in any of such cases as may be pending on the date this provision comes into force."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2021.